(49)

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, राजगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.

प्र.क्रं. PBR| विविध|राजगढ|भू.रा/2018/0515

रूगनाथ पिता मेहताब जाति माली, निवासी ग्राम सईदा बाग, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

---आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

---अनावेदक

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा (2) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक ग्राम सईदा बाग प.ह.न.62 तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ का निवासी है ग्राम सईदा बाग में उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 153/2 रकबा 0.031हे. भूमि स्थित है जो राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम अंकित है उक्त भूमि का सीमांकन आवेदक ने करवाने के लिये तहसीलदार सारंगपुर को आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 09.11.2017 को हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा सीमांकन किया गया परन्तु गलत तरीके से सीमांकन करने के कारण आवेदक को स्वीकार नहीं है और उससे वह संतुष्ट भी नहीं है। इस कारण आवेदक ने पंचनामा आदि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।

2. यह कि, आवेदक उक्त भूमि का सीमांकन श्रीमान एस.एल.आर.महोदय के द्वारा करवाना चाहता है ताकि भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सके जिसके लिये आवश्यक शुल्क फीस जमा करने के लिये तत्पर है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि जो कि ग्राम सईदा बाग पटवारी हल्का नं. 62 तहसील सारंगपुर में स्थित है उक्त भूमि सर्वे नं. 153/2 रकबा 0.031हे. भूमि का पुनः सीमांकन करवाने हेतु योग्य आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक : 27.12.2017

हस्ताक्षर आवेदक

द. रूगनाथ सिंग

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/विविध/राजगढ/भूरा/18/0515 जिला राजगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	अपर कलेक्टर जिला राजगढ के द्वारा रूगनाथ पिता मेहताब के द्वारा तहसीलदार सारंगपुर द्वारा संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत की गई सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध आवेदन पत्र इस न्यायालय को यह उल्लेख करते हुये भेजा गया है कि उक्त आवेदन पत्र निगरानी योग्य आवेदन है। अपर कलेक्टर की उक्त कार्यवाही नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि प्रथमतः जो आवेदन आवेदक रूगनाथ के द्वारा अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है, उसमें पुनः सीमांकन की मॉग की गई है, न कि पहले किये गये सीमांकन के खिलाफ निगरानी । यदि पूर्व सीमांकन से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो उसे स्वयं राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी दायर करने का अधिकार है। अपर कलेक्टर द्वारा अग्रेषित उक्त आवेदन पत्र संहिता की किसी भी प्रकिया के तहत नहीं आने के कारण अग्राह्य किया जाता है। अध्यक्ष	